राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
भारत सरकार
5वां तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली - 110001

दिनांक : 28 मार्च, 2020

विषय: कोविड-19 के आलोक में प्रवासी परिवारों के साथ जा रहे बच्चों, गलियों / बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के संबंध में एडवाइजरी

यह कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए आदेश संख्या 40-3/2020-डी दिनांक 24 मार्च 2020 तथा 25 मार्च 2020 को दिशानिर्देशों में जारी किए गए शुद्धिपत्र के माध्यम से गृह मंत्रालय द्वारा देश में इस महामारी का प्रसार रोकने के लिए लागू किए गए उपायों के संबंध में है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने का सुझाव दिया गया है तथा जहां भी उपर्युक्त उपायों से छूट प्रदान की जाती है, संगठन को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुझाए गए उपायों का पालन करना होगा।

2 इस महामारी के बीच बच्चों की वर्तमान स्थिति की जांच पड़ताल करने और विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) असुरक्षित बच्चों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेगा जो इस समय परिवार के बगैर हैं या किसी संस्थानिक देखरेख के बाहर हैं और बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा 13 (क) और 13 (घ) के अंतर्गत अधिदेश के अनुसार सभी राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाने की सलाह दी जाती है :

I. बेघर औऱ असहाय बच्चे भारत का एक कटु सत्य हैं। ये बच्चे अनाथ हैं या परित्यक्त हैं, गुमशुदा हैं या घर से भागे हुए हैं; गलियों में भीख मांग रहे हैं या ऐसे परिवार के साथ रह रहे हैं जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। वर्तमान समय में, इन बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है:

(क) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सीडब्ल्यूपीओ) नियमित रूप से निगरानी करेंगे यदि पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र में ऐसा कोई बच्चा होगा। चाइल्ड लाइन से ऐसे बच्चों की पहचान करने तथा आगे की कार्रवाई के लिए सीडब्ल्यूपीओ की जानकारी में लाने का अनुरोध किया जा सकता है।

(ख) जहां भी ऐसे बच्चे मिलते हैं, सीडब्ल्यूपीओ ऐसे प्रत्येक बच्चे का ब्यौरा जैसे कि नाम, आयु, लिंग, जन्म का स्थान, अकेले या परिवार के साथ आदि दर्ज करेंगे। ब्यौरे संबंधित बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को भी भेजे जाएंगे।

(ग) प्रारंभिक पूछताछ और बातचीत के बाद, यदि बच्चा अकेला होगा तो संबंधित बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के अनुमोदन से उनको अस्थायी रूप से सीसीआई में या किसी उपयुक्त सुविधा में रखा जाएगा। यदि बच्चा परिवार के साथ होगा तो बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए परिवार को आश्रय प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जा सकते हैं जो राज्य द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझे जाएंगे। यदि परिवारों के साथ बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन और शिशुओं के लिए उपयुक्त भोजन भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) सीडब्ल्यूपीओ प्रत्येक बच्चे की चिकित्सा जांच कराने की व्यवस्था करेंगे। यदि कोविड-19 का कोई लक्षण पाया जाता है या कोई अन्य स्थिति होती है जिसके लिए चिकित्सा उपचार चिह्नित किया जाता है तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। इसमें सहायता के लिए एनजीओ को शामिल किया जा सकता है।

(ङ) यदि वर्तमान परिस्थितियों में सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाना संभव न हो तो प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सीडब्ल्यूपीओ अपने मोबाइल पर लिए गए फोटोग्राफ के साथ बच्चा / बच्चों की सूचना और ब्यौरा सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष के साथ साझा कर सकते हैं और इसके बाद सीडब्ल्यूसी उपयुक्त स्थान में उनके अस्थायी पुनर्वास को मंजूर कर सकती है।

(च) चूंकि किसी खास जिले में जेजे अधिनियम, 2015 के अंतर्गत पंजीकृत सीसीआई उपलब्ध नहीं हो सकती हैं या हो सकता है कि संस्वीकृत संख्या के अनुसार सीसीआई में पहले से ही बच्चे रह रहे हों तथा प्रक्रिया को गति देने के लिए यह आवश्यक है कि जिला प्राधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित बाल कल्याण समितियां (सीडब्ल्यूसी) बच्चों की अस्थायी रूप से जिम्मेदारी लेने के लिए जेजे अधिनियम 2015 की धारा 51 के अंतर्गत ऐसी उपयुक्त सुविधा की पहचान करेंगी। इसके लिए आसपास के सरकारी स्कूलों के भवनों और/या निजी स्कूलों और/या पंजीकृत एनजीओ द्वारा संचालित अन्य सुविधाओं, सामुदायिक केन्द्रों को इन बच्चों के लिए उपयुक्त सुविधाओं में परिवर्तित किया जा सकता है।

(छ) सुविधा में प्राथमिक उपचार सहित भोजन, पानी, कपड़ा, स्वच्छता एवं साफ सफाई, बुनियादी चिकित्सा देखरेख आदि की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित करनी होगी। बच्चों तथा परिवारों को बुनियादी वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में योगदान करने के लिए स्थानीय एनजीओ की सेवाएं ली जा सकती हैं।

(ज) उपयुक्त सुविधा में बच्चों की सुरक्षा और देखरेख सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में प्रचालन करने वाली चाइल्ड लाइन को शामिल किया जा सकता है।

(झ) जहां सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाना संभव न हो, आनलाइन विधियों जैसे कि वीडियो कॉल, व्हाट्सऐप आदि के माध्यम से यह कार्य किया जा सकता है।

(ञ) बच्चियों के मामले में उन्हें ऐसे आश्रय या उपयुक्त सुविधा में भेजना चाहिए जो केवल बच्चियों के लिए हैं तथा सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि बच्ची को तस्करी करके लाए जाने का आरोप हो तो अंतरिम अवधि के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भोजन, आश्रय, प्रसाधन सामग्री, कपड़ा, परामर्श, चिकित्सा सहायता आदि जैसी तत्काल राहत प्रदान की जानी चाहिए।

(ट) इसी तरह, विशेष जरूरत वाले बच्चों के मामले में उनको ऐसी सुविधा में रखना चाहिए जो ऐसे बच्चों के लिए हैं।

(ठ) जिले में विशेष किशोर पुलिस यूनिट (एसजेपीयू) के मुखिया तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) द्वारा बच्चों की स्थिति तथा संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी की जानी चाहिए।

(ड) कृपया नोट करें कि लॉकडाउन हट जाने पर और स्थिति सामान्य हो जाने के बाद बच्चों को समुचित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद अगले आदेशों के लिए सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद सीडब्ल्यूसी उनके पुनर्वास / प्रत्यर्पण के लिए अगला आदेश जारी करेगी जिसे वह उपयुक्त समझेगी। अत: सीडब्ल्यूपीओ द्वारा सभी बच्चों तथा स्थान जहां उनको रखा गया है, का समुचित रिकार्ड रखना होगा। यह नियमित रूप से सीडब्ल्यूसी और एसजेपीयू के साथ साझा किया जा सकता है।

II. इसके अलावा, यदि बच्चों के परिवार मौसमी श्रम में शामिल होंगे तो स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्राधिकरणों अर्थात पंचायतों या निगम प्राधिकरणों द्वारा भोजन, आश्रय तथा चिकित्सा सुविधाएं (यदि अपेक्षित होंगी) जैसी बुनियादी सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए डीसीपीओ द्वारा ऐसे बच्चों एवं परिवारों की सूची तैयार की जानी चाहिए। जिला कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया और बच्चों की स्थिति की निगरानी करनी होगी।

III. यदि कोई सीडब्ल्यूपीओ देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे को बचाने के प्रयोजनार्थ ऐसे किसी बच्चे के संपर्क में आता है तो सीडब्ल्यूसी के समक्ष उनको प्रस्तुत करने के लिए तथा ऐसे बच्चे / बच्चों के पुनर्वास / प्रत्यर्पण से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे असुरक्षित बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

IV. आयोग द्वारा यह भी पाया गया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण भारी संख्या में प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, अपने घर पहुंचने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। हो सकता है कि दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों के कुछ बच्चे अपने परिवारों के साथ या अकेले या समूह में जा रहे हों। बच्चे के सर्वोत्तम हित में ऐसे परिवारों / बच्चों को उसी स्थान पर बने रहना चाहिए जहां वे हैं। परिवारों के मामले में ऐसे पर्याप्त उपाय किए जा सकते हैं जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझे जाएंगे। यदि बच्चे अकेले हों अर्थात माता-पिता / अभिभावक के बगैर हों तो उपर्युक्त बिंदु 1 में उल्लिखित कदम उठाए जा सकते हैं।

V. स्वप्रेरित रिट याचिका (सिविल) संख्या 1/2020 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को जेलों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए पेरोल पर या अंतरिम जमानत पर कुछ कैदियों को रिहा करने पर विचार करना सहित जेलों में कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। उक्त आदेश के संबंध में आपसे कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों जो संप्रेक्षण गृहों तथा विशेष गृहों में रखे गए हैं, के लिए उपयुक्त कदम उठाने का अनुरोध किया जाता है। राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यालय के आदेश के अंतर्गत गठित की जाने वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति को ऐसे बच्चों की सूची प्रदान कर सकती है।

3. हर हाल में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सुरक्षा के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन सहित सभी आवश्यक एहतियाती उपायों का पालन किया जाना चाहिए।

4. जिला प्राधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन को सहायता प्रदान करने के लिए चाइल्ड लाइन 24*7 सक्रिय है।

5. इसके अलावा, बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) में पहले से रखे गए बच्चों की सुरक्षा भी स्थानीय प्राधिकरणों की प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि ये बच्चे सरकार की देखरेख एवं संरक्षण में हैं। इसके लिए, डीसीपीओ द्वारा उठाए जाने के लिए निम्नलिखित कदमों का सुझाव दिया जाता है :

i. सीसीआई में तैनात सभी स्टाफ सदस्यों का जागरूक होना महत्वपूर्ण है। डीसीपीओ को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोविड-19 का प्रसार रोकने के उपायों के बारे में स्टाफ को नियमित रूप से जानकारी प्रदान की जाती है।

ii. सीसीआई के स्टाफ तथा वहां रहने वाले बच्चों को सामाजिक दूरी तथा घर के अंदर रहने के महत्व के बारे में बार बार बताया जाना चाहिए।

iii. दानदाता को परिसर के अंदर जाने नहीं देना चाहिए। गृह के प्रवेश द्वार के निकट अलग काउंटर बनाया जा सकता है जहां चंदा स्वीकार किया जा सकता है। दानदाताओं से पके भोजन के स्थान पर सूखा राशन / कच्ची खाद्य सामग्री प्रदान करने का अनुरोध किया जा सकता है।

iv. सीसीआई में बच्चों के लिए शिक्षा और मनोरंजन की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है।

v. इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बच्चों और स्टाफ को रोगहर परामर्श सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।

vi. सभी सीसीआई में अन्य स्थानों पर जहां ये बच्चे रह रहे हैं, एचआईवी / एड्स से पीड़ित बच्चे के लिए दवाएं तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

vii. यदि सीसीआई को निधियां जारी नहीं की गई हैं, तो यथाशीघ्र निधियां प्रदान की जानी चाहिए।

5ए. आयोग की जानकारी में यह बात आई है कि ऐसे अनेक बच्चे हैं जो हॉस्टल, मदरसा या अन्य सरकारी / निजी आवासीय संस्थाओं में रह रहे थे और लॉकडाउन के कारण अब भी वही रह रहे हैं। इस अवधि के दौरान बच्चों से खाली करने के लिए कहने से न केवल उनका स्वास्थ्य जोखिम में पड़ सकता है अपितु उनके लिए सदमा पहुंचाने वाला भी हो सकता है। ऐसे मामलों में, जिला कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित का सुनिश्चय करना चाहिए :

i. कोविड-19 के उच्च जोखिम को देखते हुए, हॉस्टल / मदरसा / सरकारी / निजी आवासीय संस्थाओं की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने यहां रहने वाले बच्चों का ख्याल रखें। किसी भी संस्था को इस अवधि के दौरान बच्चों से हॉस्टल / मदरसा / आवासीय संस्थाएं खाली करने के लिए नहीं कहना चाहिए।

ii. इन बच्चों के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा सहायता, स्वच्छता आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

iii. यदि इन संस्थाओं को निधियां जारी नहीं की गई हैं, तो यथाशीघ्र निधियां प्रदान की जानी चाहिए।

viii. इन संस्थाओं का दौरा करने और किसी प्रकार की कमी या सुरक्षा के मुद्दे के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए चाइल्डलाइन की सहायता ली जा सकती है।

6. आप से अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक आदेश / निर्देश जारी करें और सुनिश्चित करें कि वर्तमान परिस्थिति में कोई भी बच्चा गलियों में या प्रतिकूल परिवेश में न रहे। स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उनके कल्याण की कोई अनदेखी उपेक्षा और उनको मानसिक या शारीरिक तकलीफ में डालने के समान हो सकती है।

7. इस संबंध में आपकी ओर से तत्काल प्रत्युत्तर और कार्रवाई इस महामारी का फैलाव रोकने तथा हमारे देश के बच्चों को बचाने में योगदान करेगी।

(प्रियंक कानूनगो)